प्रेस विज्ञप्ति
01.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद ज़ोनल कार्यालय ने **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले** में चल रही जांच के संबंध में 29.04.2024 को डॉ. ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष शिवम गुप्ता के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, लखनऊ के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तीसरा पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर किया है। माननीय न्यायालय , लखनऊ ने 04.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया।

ईडी ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले में यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और खुफिया जानकारी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधकों और ट्रस्टियों ने अपने संस्थानों में नाम के लिए फर्जी/छद्म छात्रों को दाखिला दिलाया और सरकारी पोर्टल पर उनके नाम पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य जरूरतमंद छात्रों के लिए सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाना था। इस संबंध में सभी औपचारिकताएं संस्थानों ने विभिन्न एजेंटों के माध्यम से स्वयं ही पूरी कीं। इस प्रकार प्राप्त छात्रवृत्ति को कॉलेजों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद नकद में निकाल लिया गया अथवा अंततः मालिकों/प्रबंधकों/ट्रस्टियों या परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, इस प्रकार, उनके कार्यों के परिणामस्वरूप 100 करोड़ रुपये से अधिक सरकारी धन का गबन हुआ।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी शिवम गुप्ता ऐसे ही एक शैक्षणिक संस्थान का अध्यक्ष है और उसने फर्जी छात्रवृत्ति कोष के रूप में अपराध की आय अर्जित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है और अपराध की उक्त आय का लाभार्थी है और इसका उपयोग वेतन भुगतान, व्यक्तिगत खर्च, अपने कॉलेज की इमारतों के निर्माण में किया है। इस संबंध में पीएमएलए के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उसकी 5.76 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्ति कुर्क /जब्ती/अवरुद्ध कर दी गई।

शिवम गुप्ता को 01.03.2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था और वह 11 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर था। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 21.05.2024 को उसकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।

इससे पहले, पांच व्यक्तियों अली अब्बास जाफ़री , इज़हार हुसैन जाफरी , रवि प्रकाश गुप्ता, विक्रम नाग और राम गोपाल को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।